संख्या-41/2026/366/59-2-2026/001-1810416

प्रेषक,

कपिल देव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक: 04 अगस्त, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-5 के अन्तर्गत कम्बल कारखानों के पुनर्संचालन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक-192/खा0ग्रा0बो0/कम्बल/8-25/क.उ.के.का.पुर्न./2026-27, दिनांक 29.07.2026 के सदंर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में कम्बल कारखानों का पुनर्संचालन मद में प्राविधानित धनराशि रू0 30.00 लाख (रू0 तीस लाख मात्र) से कम्बल उत्पादन केन्द्र, नजीबाबाद-बिजनौर में शेड एवं कार्यालय प्रांगण में मिट्टी भराई व इण्टरलॉकिंग लगाने के कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था यू0पी0 सिडको द्वारा उपलब्ध करायी गयी आगणन की धनराशि रू0 29.04 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि रू0 14.52 लाख (रूपये चौदह लाख बावन हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत निर्गत किये जाने एवं उसे निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्ते/ प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।

(2) किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते / अन्य किसी खाते में नहीं रखा जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है। इससे इतर व्यय/उपयोग होने की दशा में विभागाध्यक्ष/योजनाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र खादी बोर्ड द्वारा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज को या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्ट्रोलर एवं आडिटर जनरल या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए उपलब्ध रहेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 14,52,000 (रूपये चौदह लाख बावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या-**005 **लेखा शीर्षक** 2851001052800 कम्बल कारखानों का पुनर्संचालन **मानक मद** 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

कपिल देव
अनु सचिव।

संख्या-41/2026/366(1)/59-2-2026/001-1810416 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज, उ0प्र0।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज, उ0प्र0।
3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कपिल देव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in